न्यायालय श्रीमान माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (शिविर भोपाल) म0प्र0

459 निगरानी – 3988/2018/हरदा/भू.रा

पुनरीक्षण याचिका क्र0 :

प्रस्तुत दिनांक :– 27/06/2018

रिविजनकर्ता :– रामभरोस आ0 दत्तक पुत्र स्व0 श्री रेवाराम जी उम्र लगभग 65 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम धनवाड़ा तह0 खिरकिया जिला हरदा म0प्र0

बनाम

उत्तरवादी :– 1 श्रीमति रेशमबाई पत्नि चन्द्रया चमार उम्र लगभग 59 वर्ष निवासी ग्राम देवपूर तह0 खिरकिया जिला हरदा म0प्र0

2. श्री रमछूलाल भाटी राजस्व निरीक्षक महोदय हल्का देवपूर तह0 खिरकिया जिला हरदा म0प्र0

3. श्री अरविंद प्रधान ग्राम पटवारी देवपूर हल्का न0 6 एवं 7 ग्राम देवपूर तह0 खिरकिया जिला हरदा म0प्र0

श्री. यू.के. यादव अभिभाषक द्वारा मय लोकेशन के प्रस्तुत 27-6-18

2-8-18

श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय खिरकिया द्वारा विवादित कृषि भूमि 101/1 101/3 101/4 ग्राम देवपूर तह0 खिरकिया जिला हरदा के सीमांकन आदेश दिनांक 24/4/2018 के अनुसार पैमाईश दिनांक 24/5/18 से उद्‌भूत निगरानी/पुनरीक्षण याचिका

पुनरीक्षण याचिका / निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

याचिकाकर्ता की ओर से निम्नानुसार निवेदन है:

यह कि माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय खिरकिया के राजस्व प्रकरण कं 0024अ-12/2017–18 ग्राम देवपूर, राजस्व निरीक्षक कार्यालय के रा0प्र0क्र 20/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24/4/18 से विच्छुब्ध एवं दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह याचिका प्रस्तुत है।

याचिका के तथ्य

1. यहकि, उत्तरवादी कं 1 श्रीमति रेशमबाई बेवा चन्द्रया चमार निवासी ग्राम देवपूर द्वारा अपने स्व0 पति चन्द्रया आ0 नन्दू चमार के नाम पर दर्ज ग्राम देवपूर तह0 खिरकिया जिला हरदा स्थित कृषि भूमि ख0 101/1 101/3 101/4 रकबा क्रमश 1.214 हैक्ट 1.567 हैक्टे तथा 1.579 हैक्टे का पैमाईश हेतु उत्तरवादी कं 2 रा0नि0 देवपूर खिरकिया के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन पत्र पर उत्तरवादी कं 2 द्वारा विवादित भूमियों के पैमाईश

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3988/2018/हरदा/भू.रा. रामभरोस विरूद्ध रेशमबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक खिरकिया के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 24-04-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 30/01/19 सदस्य	